257

आयुक्त / अध्यक्ष महोदय

आपकी अध्यक्षता में दिनांक 29–3–2004 को सम्पन्न हुई मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की 64 बीं बोर्ड बैठक की कार्यवाही सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

(डॉ0 दिलबाग सिंह)
उपाध्यक्ष,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून ।

64 वी बोर्ड बैठक दिनांक 29.03.2005

आज दिनांक 29.03.2005 को मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की 64वी बोर्ड बैठक मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें सदस्यों एवं अधिकारियों की उपस्थिति निम्नानुसार रही:–

1.	श्री सुभाष कुमार,आयुक्त, गढ़वाल मण्डल	अध्यक्ष
2.	डा0 दिलबाग सिंह, उपाध्यक्ष	उपाध्यक्ष
3.	श्रीमती मनीषा पंवार, जिलाधिकारी	पदेन सदस्य
4.	श्री भास्करानन्द जोशी, अपर सचिव, आवास	सदस्य
5.	श्री के0सी0मिश्रा अपर सचिव, वित्त	प्रतिनिधि सदस्य
6.	श्री विक्रम सिंह नेगी ,मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम,देहरादून ।	पदेन सदस्य
7.	श्री बृज बी0रतन, प्रभारी अधिकारी नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग।	पदेन सदस्य

अन्य उपस्थिति:–

1. श्री विक्रम सिंह नेगी, सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
2. श्री दिनेश चन्द्र लोहनी, मुख्य लेखाधिकारी, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
3. श्रीमती अनुजा सिंह, अनुसचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,देहरादून।

............2

सर्व-प्रथम प्राधिकरण बोर्ड की 61 वीं बैठक दिनांक 26-6-2004 62 वीं प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 21-9-2004 व 63 वीं प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनाक 9-11-2004 से सम्बन्धित विषय क्रमांकों से सम्बन्धित प्रस्तुत अनुपालन आख्या के सम्बन्ध में बैठक में चर्चा के उपरान्त 62 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 21-9-2004 के विषय क्रमांक-ख (14)-प्राधिकरण द्वारा निर्मित एवं विकसित पटेल पार्क (घण्टाघर के निकट) के वार्षिक अनुरक्षण के सम्बन्ध में पार्क के संचालन हेतु न्यूनतम् व्यय धनांक रू0-15,000 (रू0 पन्द्रह हजार) प्रति माह को अनुमोदित किया गया और निर्देश दिए गए कि निविदाएं आमंत्रित कर इसी के अनुरूप वांछित कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

प्राधिकरण बोर्ड की 63 वीं बैठक के अनुपुरक विषय क्रमांक-5- ग्राम माजरा, कारगीग्रण्ट व रायपुर में भूमि अर्जन से प्रभावित भूमि को अधिग्रहण से मुक्त किए जाने के सम्बन्ध में सचिव, विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में गठित समिति की आख्या के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण बोर्ड की आगामी बैठक में भूमि अर्जन के सम्बन्ध में प्रस्तुत नए प्रस्ताव के समय ही इस विषय पर भी निर्णय लिया जायेगा।

शेष विषय क्रमाकों से सम्बन्धित अनुपालन आख्याओं के सम्बन्ध में विचारोपरान्त अब तक की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में संतोष व्यक्त करते हुए निर्देश दिए गए कि जिस विषय क्रमांक के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही लम्बित हो उसे यथाशीघ्र पूर्ण कर लिया जाये।

विषय क्रमांक-01 श्री कन्चौक शैम्पा के खसरा नम्बर-3 मौजा सोन्दोवाली सहस्त्रधारा के मानचित्र संख्या-1660/96-97 को स्वीकृत किए जाने के सम्बन्ध में ।

प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त निर्णय लिया गया कि पूर्व निर्मित निर्माण पर निर्माण कार्य की स्वीकृति दी जाती है।

विषय क्रमांक-02 सम्पत्ति संख्या-30 सुभाष रोड पर श्री अनिल प्रताप पुण्डीर द्वारा प्रस्तुत भवन मानचित्र संख्या-1973/04-05 पर देय विकास शुल्क के सम्बन्ध में ।

उक्त मानचित्र संख्या 1973/04-05 को परिचालन के माध्यम से प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

विषय कमांक–03 डॉ0 दिलबाग सिंह, आई0ए0एस0, उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के चिकित्सा अग्रिम के सम्बन्ध में ।

उपरोक्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर पर चर्चा के उपरान्त सर्व–सम्मत्ति से डॉ0 दिलबाग सिंह, आई0ए0एस0, उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को अग्रिम प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गयी। डॉ0 दिलबाग सिंह उक्त अग्रिम के सापेक्ष विकास प्राधिकरण को चिकित्सा बिल समायोजन हेतु प्रस्तुत करेंगे। इसके अतिरिक्त डॉ दिलबाग सिंह, उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की आगामी अफ्रीका एवं दुबई में प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने हेतु प्रस्तावित यात्रा हेतु रू0 2.50 लाख अग्रिम लेने की स्वीकृति भी प्रदान की गयी।

AIMS के Dubai

विषय कमांक–4 मुख्य सचिव द्वारा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को भूमि अधिग्रहण पर पुर्न–विचार किए जाने के सम्बन्ध में ।

निर्णय लिया गया कि हडको से लिए गए ऋण को वापस किए जाने की सम्भावनाओं का परीक्षण किया जाये। जिलाधिकारी, देहरादून ने बताया कि उन्होंने 87 हेक्टेअर भूमि का अवार्ड घोषित करने हेतु पत्रावली मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल को अनुमोदनार्थ प्रेषित कर दी है अतः उक्त पत्रावली पर शीघ्रातिशीघ्र मुख्य राजस्व आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त करने का प्रयास किया जाये तथा प्रस्तावित अधिग्रहण की जाने वाली भूमि की प्राथमिकताएं भी तय कर ली जाये।

यह भी निर्णय लिया गया कि भूमि अधिग्रहण के सापेक्ष जो धनराशि विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी को प्रेषित की गयी है उस पर ब्याज नहीं मिल रहा है अतः उस धनराशि को किसी कामर्शिलय बैंक में डालकर उसे जिलाधिकारी के पक्ष में बन्धक करने की सम्भावनाओं का भी परीक्षण कर लिया जाये।

भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सचिव, आवास श्री पी0सी0 शर्मा की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन करने के निर्देश दिए गए और इस समिति के सदस्य उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, जिलाधिकारी, देहरादून एवं मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, देहरादून होगें।

उक्त कमेटी भूमि अधिग्रहण की प्राथमिकताओं को ध्यान मे रखते हुए यह निर्णय करेगी कि विकास प्राधिकरण को कितनी भूमि की आवश्यकता है तथा उक्त प्रयोजन हेतु वित्तीय संशाधन क्या हैं आदि बिन्दुओं पर विचार कर तय करेगी कि कितनी तथा कौन सी भूमि को अधिग्रहण से मुक्त किया जाना है अथवा नहीं। उक्त समिति एक माह में रिपोर्ट प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

.......................4

विषय कमांक–5 श्री विक्रम सिंह नेगी, सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के चिकित्सा अग्रिम के सम्बन्ध में

प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त श्री विक्रम सिंह नेगी, सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को रू0 2,05,000.00 (रू0 दो लाख पांच हजार) चिकित्सा अग्रिम दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी। श्री विक्रम सिंह नेगी उक्त अग्रिम के सापेक्ष विकास प्राधिकरण को चिकित्सा बिल समायोजन हेतु प्रस्तुत करेंगें।

विषय कमांक–06 वित्तीय वर्ष 2005–2006 का प्रस्तावित बजट

विचारोपरान्त वर्ष 2005–06 का मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण का बजट सर्व–सम्मत्ति से पारित किया गया।

विषय कमांक–07 नगर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग, उत्तरांचल द्वारा प्रस्तुत मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अर्न्तगत देहरादून विकास क्षेत्र की महायोजना प्रारूप–2031 पर प्राधिकरण बोर्ड के सदस्यों द्वारा विचार–विर्मश किया जाना।

मास्टर प्लान 2005–2025 के प्रारूप पर चर्चा हुई तथा उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक समिति गठित किए जाने का निर्णय हुआ जो महायोजना के समस्त पहलुओं का परीक्षण कर दिनांक 10–4–2005 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी। समिति के अन्य सदस्य निम्नानुसार होगें:–

1–अपर सचिव, आवास, उत्तरांचल शासन
2–मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, देहरादून
3–अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व, देहरादून
4–विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, देहरादून

उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी निर्णय हुआ कि श्री बी0बी0 रतन, मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक उक्त समिति के साथ रह कर प्रस्तावित महायोजना के सम्बन्ध में समिति को वांछित जानकारी उपलब्ध करायेंगे।

मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक ने सुझाव दिया कि डिजीटल मैप तैयार हो गये है अतः उनके थैमेटिक प्लान प्राप्त कर लिये जाये ताकि जोनल प्लान बनाने की प्रकिया भी प्रारम्भ की जा सके।

……………..5

इसके उपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा बैठक अपरिहार्य परिस्थिति में स्थगित की गयी इसलिए अवशेष प्रस्तावों के सम्बन्ध में आगामी बैठक में विचार किया जायेगा।

अन्त में बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।

(डॉ0 दिलबाग सिंह)
उपाध्यक्ष,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून ।

(सुभाष कुमार)
आयुक्त,
गढ़वाल मण्डल /
अध्यक्ष,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून ।